

जयपुर जिला शिक्षा अधिकारी  
प्रारम्भिक शिक्षा, जयपुर कार्यालय-आदेश

निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर के आदेश क्रमांक: शिविरा/प्रारं/शैक्षिक/सी/19626/09-10/18-19 दिनांक 29.01.2009 के अनुपालना में निम्नलिखित शर्तों के प्राथमिक विद्यालय से उच्च प्राथमिक विद्यालय में कमौन्नत करने हेतु प्राप्त आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर राज्य सरकार द्वारा वर्णित क.सं.1 से 5 तक में निर्दिष्ट शर्तों व पालना करने बाबत प्रस्तुत शपथ-पत्र (अपडेटेकिंग) एवं समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर संस्था का आवेदन पत्र निम्न शर्तों के आधार पर स्वीकार किया जाता है:-

- राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था के नियम-1993 के परिशिष्ट-2 में यथा निर्दिष्ट नियमों तथा शर्तों की पूर्ति करने बाबत प्रस्तुत शपथ-पत्र के अनुसार सभी शर्तें पूर्ति करती हैं।
- संस्था द्वारा राज्य सरकार/ आयुक्त, प्रारम्भिक शिक्षा/ माध्यमिक शिक्षा एवं जिला एवं ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी द्वारा समय-2 पर जारी किये जाने वाले आदेशों, निर्देशों व अनुदेशों की पालना किया जावेगा एवं समय-2 उनके द्वारा सांगी जाने वाली प्रत्येक सूचना समय पर प्रेषित की जावे।
- संस्था के विद्यार्थी किसी अन्य गैर सरकारी संस्था अथवा सरकारी विद्यालय में प्रवेश पा सकेगें, किन्तु संस्था द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा अथवा शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित समान परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।
- संस्था को प्राथमिक स्तर से उच्च प्राथमिक स्तर में सत्र 2009-10 से कमौन्नत की जावेगी, कमौन्नत प्रथम सत्र में कक्षा-6 में सत्र 2010-11 में कक्षा-7 एवं सत्र 2011-12 में कक्षा-8 प्रारम्भ की जावेगी।
- कक्षानुसार शत प्रतिशत प्रशिक्षित अध्यापक मानदण्डानुसार किये जावेगें।
- भवन सुरक्षा प्रमाण-पत्र प्रति वर्ष सक्षम अधिकारी से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जावेगा।
- दिनांक 30 सितम्बर के आधार पर प्रत्येक वर्ष नामांकन एवं वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर आय-व्यय विवरण स्थानीय कार्यालय की सम्बन्धित शॉखा में प्रस्तुत करेगें।
- कार्यवाही कर्मचारियों को नियमानुसार वेतन भत्तों आदि की सुविधा दी जावे।
- शिक्षा से संबंधित परिकेन्द्र के बच्चों को आपकी शाला से अनिवार्य रूप से जोड़कर सूची इस कार्यालय में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करेगें।
- शपथ पत्र में वर्णित तथ्यों की असत्यता पाई जाने पर उक्त जारी प्रमाण-पत्र/आदेश निरस्त किया जासकेगा और संस्था के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।
- फीस में वृद्धि माननीय न्यायालय के निर्णय के अन्तर्गत ही की जासकेगी।

क्र.सं.	पत्रावली सं.	नाम संस्था मय पता	कर्मोन्नति स्तर	शर्तें
1	19	दीक्षा शिक्षण संस्था, 18 वी अगिता कॉलोनी विस्तार, गोविन्दपुरा रोड, टॉल टेक्स, जयपुर	उप्रावि	हि-क
2	37	न्यू गोबन इन्टर नेशनल स्कूल, सिद्धार्थ नगर, जयपुर	उप्रावि	हि-क
3	42	सेन्ट मैरीस कॉन्वेंट स्कूल, तिलावाला, जगतपुरा, जयपुर	उप्रावि	हि-क
4	55	अरावली पब्लिक स्कूल, 5घ 20 के सामने सेंक्टर -6 जवाहरनगर, जयपुर	उप्रावि	हि-क
5	82	भारतीय विद्या निकेतन, रामपुरावाडा काला प.स. दूद	उप्रावि	हि-क
6	84	महर्षि दयानन्द सरस्वती पब्लिक स्कूल, श्रीरामपुरा, प.स. दूद	उप्रावि	हि-क
7	90	राधना पब्लिक स्कूल, ग्राम मोहनपुरा रेनवाल मार्ग, प.स. फार्मी	उप्रावि	हि-क
8	110	इण्डियन ओपेन पब्लिक स्कूल, 855 नैवीनगर, न्यू सांगानेर रोड, जयपुर	उप्रावि	हि-क
9	115	ज्ञानदीप पब्लिक स्कूल, ग्राम- बांगरवाडा प.स. जम्भारामगड	उप्रावि	हि-क
10	116	सरस्वती शिक्षण संस्थान पब्लिक स्कूल, गु.पो. मुदा बैरसल वाया कुलेश सह. नौजगाबाद प.स. दूद	उप्रावि	हि-क

जिला शिक्षा अधिकारी  
प्रारम्भिक शिक्षा, जयपुर  
दिनांक 31.3.09

क्रमांक: जिशिअ/जय/प्रशि/जय/सं-4/फा-~~...~~/09-09/447-62

- प्रतिलिपि निम्न को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-
- विशेष महो. प्रारम्भिक शिक्षा, राज. बीकानेर।
  - शिक्षा उप निदेशक (प्रारं.शिक्षा) जयपुर संभाग, जयपुर।
  - सम्बन्धित ब्लॉक प्रारं. शिक्षा अधिकारी,
  - संबन्धित संस्था सचिव, सेन्ट मैरीस कॉन्वेंट स्कूल, तिलावाला, जगतपुरा, जयपुर
  - रक्षित पत्रावली।

*Lu. ne. Pratte*  
Principal  
St. Mary's Convent Sr. Sec. School  
Jagatpura, Jaipur (Raj.) 302025



Office of Competent Authority  
Room No. 2217, Second Floor, Main Building,  
Government Secretariat,  
Rajasthan, Jaipur-302 005.

No. PS/MA/2011/

Dated 03.11.2011....

*On consideration of the Documentary Evidence produced before the Competent Authority, The Competent Authority is satisfied that .St. Mary's Convent School, Goner Road, Jagatpura, Jaipur (Rajasthan) managed by the St. Mary's Convent Higher Secondary Educational Society, Ajmer (Rajasthan) is a Minority Educational Institution within the meaning of Section 2(g) of the National Commission for Minority Educational Institutions Act, 2004 read with the Notification issued by the Government of Rajasthan No. F.4(1) Maw/2010 dated 24.01.2011.*

*Consequently, It is hereby declared that the aforesaid College/School is a Minority Educational Institution covered under Article 30 of the Constitution of India.*

*The Institution shall comply with all the Rules and Regulations issued in this regard and display all necessary information in Public Interest on its website.*

*Given under my hand and the seal of the Competent Authority on this .....3<sup>rd</sup>...th Day of November, 2011.*

Rohit R. Brandon  
Principal Secretary to Government  
Department of Minority Affairs  
Competent Authority